

समिति द्वारा की गई सन 2018-20 हेतु सेवा का पुनर्निर्माण किया जाता है। (1) सेवा की भर्तीकरण की अनुमति होगी।

- ✓ सेवा की (प्रदेश) प्रतिष्ठित शिक्षा समितिओं तथा उन समितिओं से संस्थाओं को संयुक्त किया जाकर शिक्षणकारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने की ही प्रक्रिया प्रवेश लेनेगी। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में जिला प्रवेश प्रयोग से निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निमित्त प्राध्यापकों के अनुमान विवरण एवं संस्थागत शुल्क जमा करने होगा।
- ✓ संस्था को एडमिनिस्ट्रेशनल से सम्बन्धी सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था प्रवेश प्रवेश सामान द्वारा अन्तर्गत सभी विधि/विधियों/प्रतिष्ठित/प्राथमिक/निदेशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, जयपुर, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, जयपुर तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा कराए गए नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने की जिम्मेवारी होगी।
- ✓ विधायक इन कार्यवाही प्राध्यापकों की संख्या यदि सीटों/सीटों एवं विद्यार्थी के अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होगी तो पूरा संस्था में संस्था प्राध्यापकों संस्था का प्रयोग और प्राथमिक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था द्वारा प्राध्यापकों होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक जयपुर प्रवेश प्रयोग को जारी किए गए द्वारा ज्ञात है तथा समय-समय पर सेवा में नए प्राध्यापक प्राप्त करने प्रयोग की कार्यवाही संबंधी अन्तर्गत निर्देशक किया जाता है जो संस्था प्रत्येक वर्षीय संस्था को करनी होगी।
- ✓ विधायक इन कार्यवाही प्राध्यापकों सम्बन्धित करने वाली संस्थाओं की संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, जयपुर प्रवेश प्रयोग द्वारा प्रयोग कर के लिए प्राथमिक प्रवेश परीक्षा हेतु प्राथमिक शिक्षा द्वारा होने की पूर्ण कार्यवाही से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद प्राथमिक को प्रयोग करने होगा। अन्तर्गत प्रवेश प्रयोग की (आध्यापकों के संख्या से प्रथम संस्था स्तर पर सीटें प्रयोग) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ जयपुर प्रवेश प्रयोग द्वारा प्रवेश हेतु निर्देश-निदेशक आवश्यक विवरणों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सफल सुधार जैसे संस्था की प्रौद्योगिक पुनर्निर्माण, स्थापना-सूचना, उपकरण, प्रश्न किया जाने वाला शुल्क, प्राध्यापक शुल्क आदि का विवरण प्रयोग कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु प्राथमिक प्राध्यापकों संख्या करना की प्रयोग प्रयोग प्रयोग के संस्था के संस्था प्रयोग प्राध्यापकों सुविधाएं करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित की तो कि संस्था में प्रस्तावित/संबन्धित प्राध्यापकों को बनाए जाने हेतु निर्देशक समिति को संस्था प्रयोग करने पर प्राथमिक, प्रतिष्ठान, प्रयोग प्राध्यापकों प्राध्यापकों का सीटें संस्था द्वारा किसी अन्य प्राध्यापकों के संस्था में प्रयोग किया जाता है और परिषद को प्रयोग करने वाली होगी है कि संस्था प्राथमिक का प्रयोग किसी अन्य प्रयोग की जिम्मेवारी है तो संस्था संस्था को प्राध्यापकों संस्था मिले जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ प्राध्यापक शर्तों का अनुपालन न मिले जाने प्रयोग शर्तों का प्राथमिक करने वाले की स्थिति में निर्देशक द्वारा अनुपालन आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(स्वीय सुभास सिंह)
सचिव

पुंसा- प्राथमिक/परिषद संख्या/2018/1132-2202

तम तिथि: 18-6-2018

प्रतिष्ठान-जयपुर, निर्देशक, आईटीएम्प्लैन्ट ब्लॉक जयपुर, सुराजली निशुद्ध अन्तर्गत, जयपुर।

(स्वीय सुभास सिंह)
सचिव

**भारतीय
प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद
प्रसार प्रवेश सम्मेलन।**

संख्या- भारतीय/परिषद सम्प्रदाय/2020/1871

प्रकाशक दिनांक: 15-8-2020

-संशोधन प्रश्न-

भारतीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय कायदापरत ब्रीफ इन्फोर्मेशन, नई दिल्ली द्वारा संशोधन सत्र 2020-21 हेतु विदेशी भारतीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य प्रविधिक शिक्षा परिषद (एडवोकेट) संस्थाओं को सम्प्रदाय/सम्प्रदाय विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अन्ततः प्रविधिक शिक्षा परिषद (एडवोकेट) संस्थाओं की संख्या में परिवर्तन कायदापरत में हेतु संलग्न हुई। देश में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेगित नई संस्थाओं को सम्प्रदाय/पूर्व से संघारित संस्थाओं को सम्प्रदाय विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश अगता बुद्धि करीत अन्य नवी पत्र विस्तार करती हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्प्रदाय प्रदान किने जाने का निर्णय किया गया।

एक के अनुक्रम में सम्प्रदाय समिति की बैठक को सत्र-20 में विस्तार हेतु इच्छित पाठ्यक्रम संघारित करने वाली पूर्व से सम्प्रदाय संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्प्रदाय समिति द्वारा सत्र विस्तार-विस्तार अत्र विस्तार निर्णय किया गया।

'निजी क्षेत्र में संघारित विस्तार हेतु इच्छित पाठ्यक्रम संघारित करने वाली विस्तार भारतीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं, जो प्रविधिक शिक्षा परिषद, एडवोकेट संस्थाओं से पूर्व से सम्प्रदाय हैं, में एडवोकेट/सीडीआई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में एडवोकेट/सीडीआई द्वारा प्रदान किने गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के समुच्चय अत्र पाठ्यक्रम/प्रवेश अगता में सत्र सत्र 2020-21 हेतु परिषद में सम्प्रदाय विस्तार प्रदान किने जाने पर समिति द्वारा विस्तार-विस्तार किया गया एवं एडवोकेट/सीडीआई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु एडवोकेट अनुमोदन विस्तार की अनुमति में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्प्रदाय विस्तार प्रदान किने जाने का निर्णय किया गया।'

दिनांक 14-08-2020 को वास्तु सम्प्रदाय समिति की बैठक में किने गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में किने संस्थाओं को प्रविधिक शिक्षा परिषद, एडवोकेट संस्थाओं द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं अन्तर्गत अत्र प्रवेश अगता हेतु सम्प्रदाय विस्तार प्रदान की जाती है -

सत्र वर्ष	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एडवोकेट/सीडीआई /द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन अगता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रवेश अगता
1	1808	एडवोकेट/सीडीआई प्रविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	विदेशी इच्छित इच्छित इच्छित इच्छित इच्छित इच्छित इच्छित इच्छित इच्छित	300 120 120 180 60	300 120 120 180 60

सम्प्रदाय हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडवोकेट/सीडीआई/सीडीआई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1982 संशोधन विनियमवाली-2016 तथा अन्य विनियम विनियमों एवं अधीनों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इच्छित पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय भारतीय पाठ्यक्रम हेतु ₹ 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय भारतीय पाठ्यक्रम से अतिरिक्त) हेतु ₹ 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश अत्र/अत्र से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अत्र/अत्रों से शुल्क के सम्बन्ध में सम्प्रदाय पर वास्तु द्वारा निर्णय किने जाने वाले सारनादेश प्रभावी होंगे, और अनुमोदन कार्यवाही किया जात अत्र/अत्र होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को एडवोकेट प्रविधिक शिक्षा समितिओं तथा सत्र समितिओं, संस्थाओं को सम्प्रदाय किया जाने विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(Handwritten signature)

- ✓ संस्था में अनुयाय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा। सीटों के विस्तार पर जाने की स्थिति में उच्चतर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सार्वजनिक से अनुसूचित विधायक एवं सम्बद्धता युक्त जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एम्प्लॉयमेंट/सीटिंग/वीआर/वीआर/सीटिंग से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाय आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उच्चतर प्रदेश शासन द्वारा बतवाई गई विधि/विधियों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, इंजीनियर शिक्षा, उच्चतर, अनुयाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्चतर तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्चतर द्वारा कलाई गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के दिने बाध्य होगी।
- ✓ विधियोंमा इन कानूनी प्रावधानों की संस्थाएं यदि सीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उच्चतरविधायक संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था अपने उच्चतरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, अनुयाय प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशकालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उच्चतर प्रदेश शासन को कोई चयन बाधक किया जाता है तथा बाधक चयन के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को अपनी होगी।
- ✓ विनियम इन कानूनी प्रावधानों को अंगीकार करने वाली संस्थाओं को अनुयाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्चतर प्रदेश उच्चतर द्वारा प्रेषित वर्ष के लिए आवेदिका प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदनित करने होने के पूर्व सीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद संचालित को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा वर्षों प्रवेश की (आवेदनित के आधार से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जावेगी।
- ✓ उच्चतर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु निर्गत नवीनतम आदेशन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिक्रिया, स्टाफ, मान-सम्मान, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला युक्त, छात्रवास युक्त आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त उपाययन उपलब्ध करने के साथ निर्गत होने की संस्था में समस्त आवश्यक मासिक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो से कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित प्रावधानों को धराया जाने हेतु निर्देशक समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अधिलेख, बुकिंग-मान, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्रावधान के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उच्चतर संस्था की सम्बद्धता सफल विधे जाने की अनुमति की जावेगी।
- ✓ सम्बद्धता सर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा सर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनवत्क कार्यवाही की जावेगी।

(डा० आरपी० सिंह)
सचिव

पुस्तक- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141 तददिनांक: 15-09-2020
प्रतिनिधि-उपशाखाध्यक्ष/निर्देशक, आईएनएलएल कॉलेज ऑफ पारोटेक्निक, बुधवार विपर, प्रजवाड, अमरौठा।

(डा० आरपी० सिंह)
सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

संखनक्र: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञापन:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेली कायन्वित ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैक्रिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दान पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1500-I M S COLLEGE OF POLYTECHNIC, KHUNGAWALI NEAR BRAJGHAT, AMROHA

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ फी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	300	300
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	120	120
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	180	180
5	MECHANICAL ENGINEERING (MAINTENANCE)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/फी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेप्टेम्बर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंगी0 पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेली पाठ्यक्रम हेतु रु0 45000.00/-

प्रतिवर्ष एवं तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु २०-२२५००.००/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रोम निर्धारण समिति द्वारा बंदि सत्र २०२१-२२ हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनताम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उच्च समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-२००० की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उपरोक्त, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपरोक्त तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपरोक्त द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ हिन्दोला इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में सम्मत उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में या, ग्यापारलव द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी अन्देश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ हिन्दोला इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग कार्यक्रम होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनताम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिक्षण हेतु उपर्युक्त वसतिगारण उपलब्ध कराने के साथ रेमिंग रोकने के सम्बन्ध में सम्मत आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये जभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपरोक्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुरासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनवार)

सचिव

सूचनांक- प्राक्षिप/परिषद सलुनदुता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, I M S COLLEGE OF POLYTECHNIC, KHUNGAWALI NEAR BRAJGHAT, AMROHA

(सुनील कुमार सोनवार)

सचिव